दिनांक: 12.03.2026

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ छिनैती के मुकदमें में फरार चल रहे 02 वांछित अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से कान के कुण्डल व टाप्स (पीली धातु), 14000/- रुपये की नकदी, घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह/कारतूस व 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती,अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग** की जा रही है।*

*इसी क्रम में दिनांक 11/12.03.2026 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा बिजोपुरा नहर पुल के पास कच्ची चकरोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी बिजोपुरा नहर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर रुकने का ईशारा किया गया। तो मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और चिलकाना की तरफ जाने वाली रोड पर भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा बदमाशो की पीछा किया गया, कुछ दुरी पर जाकर हड़बड़ी में तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहे बदमशों की मोटर साइकिल फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों ने पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और खेतो की तरफ भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दोनो बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान **1. अमजद पुत्र इरशाद निवासी मौ0 विश्वास नगर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व 2. सादिक उर्फ सुक्खा पुत्र इकराम निवासी ताहिरा गार्डन विश्वार नगर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। अभियुक्तो के **कब्जे से 02 तमंचा .315 बोर, 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस .315 बोर ,01 बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल व छिनेती के पीली धातु के कुण्डल व टाप्स व 14000/- रुपये** बरामद हुए। घायल बदमाशो को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 98/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अमजद पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला विश्वास नगर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. सादिक उर्फ सुक्खा पुत्र इकराम निवासी ताहिरा गार्डन विश्वार नगर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *02 तमंचा .315 बोर*
- *02 जिन्दा कारतूस .315 बोर*
- *02 खोखा कारतूस .315 बोर*
- *01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल*

- *कुण्डल व टाप्स पीली धातु (छिनैती में गये)*
- *14000/- रुपये की नकदी*

<u>अभियुक्त अमजद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास</u>

1- मु0अ0स0 96/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

2- मु0अ0स0 98/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

<u>अभियुक्त सादिक उर्फ सुक्खा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास</u>

1. *मु0अ0स0 96/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0स0 98/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

1- प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाल देहात जनपद सहारनपुर

2- उ0नि0 श्री युमुना प्रसाद थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

3- उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

4- है0का0 736 दीपक नागर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

5- है0का0 127 विनित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

6- का0 1716 अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

दिनांक- 12.03.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है।*

*इसी क्रम में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त मुकेश पुत्र दलमीरा निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को कच्चा पक्का दुमझेडा से नल्हेडा जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 87/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।। **गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर में लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमें दर्ज है**। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मुकेश पुत्र दलमीरा निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *12 ग्राम अवैध स्मैक*

अभियुक्त मुकेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 134/15 धारा 4 बी सी0एस एक्ट थाना सदर जिला यमुनानगर हरियाणा

2.मु0अ0सं0 251/15 धारा 4 बी सीएस एक्ट व 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर यमुनानगर हरियाणा

3.मु0अ0सं0 11/16 धारा 279/336/307332/186/473/506/120बी भादवि 4बी सीएस एक्ट थाना सदर यमुनानगर हरियाणा

4.मु0अ0सं0 269/17 धारा 392/411 भदावि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

5.मु0अ0सं0 326/17 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414/468/471 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

6.मु0अ0सं0 475/17 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

7.मु0अ0सं0 39/18 धारा 174 ए भादवि थाना सदर यमुनानगर जिला यमुनानगर हरियाणा

8.मु0अ0सं0 121/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

9.मु0अ0सं0 547/20 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना स0पुर

10. मु0अ0सं0 42/21 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

11. मु0अ0सं0 245/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना स0पुर

12. मु0अ0सं0 306/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

13. मु0अ0सं0 28/24 धारा 457/380/34 भादवि थाना छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा

14. मु0अ0सं0 21/25 धारा 3/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

15. मु0अ0सं0 49/26 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

16. मु0अ0सं0 87/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

3. उ0नि0 श्री राजकुमार उज्जवल थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

4. का0 2534 राजीव कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 12.03.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा पोक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाक 15.01.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अक्षय पुत्र सतीश निवासी ग्राम लण्ढोरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक गलत कार्य करने करने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 16/26 धारा 137(2) बीएनएस व ¾ पोक्सो अधि0 मे पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेत्तृव में दिनांक 11.03.2026 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त नामजद वांछित अभियुक्त ***अक्षय पुत्र सतीश निवासी ग्राम लण्ढोरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*** *को मुखबिर की सूचना पर लण्ढौरा गुर्जर के हाईवे अन्डर पास के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *अक्षय पुत्र सतीश निवासी ग्राम लण्ढोरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।*

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

1. *मु0अ0सं0 016/26 धारा-137(2) बीएनएस व ¾ पोक्सो अधि0 थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 363/2020 धारा-379 भादवि थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 158 अमित कुमार थाना रामपुर मनि सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 12-03-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें वांछित बालअपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 07.03.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत एक युवक द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने, डरा-धमका कर लाखो रुपये ले लेने, पुनः पैसा देने से मना करने पर पीडिता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने व पीडिता की अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 78/26 धारा 64(1)351(3)/ 308(4) बीएनएस व 5एम/6 पोक्सो अधि0 व 67 आईटी एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गए। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नांगल श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। जिसके कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभिरक्षा मेः-

बाल अपचारी

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद मोबाईल फोन रेड मी 9 सिल्वर रंग

01 अदद मोबाईल ओप्पो कम्पनी एफ-27 हरा रंग

अभिरक्षा में लेने वाली टीम-

1. *थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान थाना नांगल सहारनपुर*
2. *व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना नागल सहारनपुर*
3. *उ0नि0 शिवकार सिंह थाना नागल सहारनपुर (सादा वस्त्रो में)*
4. *का0 1970 अनुज कुमार थाना नागल सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 12.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान 02 वारण्टी ***अभियुक्तगण 1. कवि पुत्र सुरेश निवासी नाला पटरी किशनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सं0 1055/24 व मु0अ0सं0 130/05 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर (माननीय न्यायालय ACJM तृतीय सहारनपुर) नियत दिनांक 13.03.2026 में* ***व 2. आसिफ पुत्र अफजाल निवासी मौहल्ला समादार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सं0 1642/24 व मु0अ0सं0 456/19 धारा 147/188/342 भादवि थाना कोतवाली नगर (माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर) नियत दिनांक 23.03.2026 में जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. कवि पुत्र सुरेश निवासी नाला पटरी किशनपुरा थाना को0नगर सहारनपुर

2. आसिफ पुत्र अफजाल निवासी मौ0 समादार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 अरूण कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*
2. *है0का0 505 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत 04 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 11.03.2026 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा कलसिया चौहारे से पहले पुल के पास पहुची तो देखा कि काफी भीड इकट्ठा है तथा ***प्रथम पक्ष के 1. सुशील पुत्र लक्ष्मी चन्द निवासी ग्राम अलीपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 2.असजद पुत्र मारूफ निवासी ग्राम जन्धेडी पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *व* ***द्वितीय पक्ष के 1.आशिक पुत्र असगर निवासी ग्राम लौधीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 2. अरज पुत्र जयपाल निवासी ग्राम लौधीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *खनन से भरे ट्रको को पहले निकालने को लेकर आमदा फसाद हो रहे है । मौके पर मौजूद पुलिस टीम व स्थानीय लोगो द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया तो नहीं माने तथा और अधिक उत्तेजित होकर आमदा फसाद होने लगे। शान्ति भंग होने की आशंका को देखते हुए अभियुक्त* ***प्रथम पक्ष के 1. सुशील पुत्र लक्ष्मी चन्द निवासी ग्राम अलीपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 2.असजद पुत्र मारूफ निवासी ग्राम जन्धेडी पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *व* ***द्वितीय पक्ष के 1.आशिक पुत्र असगर निवासी ग्राम लौधीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 2.अरज पुत्र जयपाल निवासी ग्राम लौधीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस की चालानी कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय एसडीएम बेहट के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. *सुशील पुत्र लक्ष्मी चन्द निवासी ग्राम अलीपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *असजद पुत्र मारूफ निवासी ग्राम जन्धेडी पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *आशिक पुत्र असगर निवासी ग्राम लौधीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
4. *अरज पुत्र जयपाल निवासी ग्राम लौधीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री अरविन्द तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री मुकेश कुमार शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 357 अनुज कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
4. *का0 71 ब्रजवीर राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 12.03.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 238 ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले **01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त रिहान पुत्र वसीम निवासी मौहल्ला चरवरदरान थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को दर्पण तिराहे के पास पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 238 ग्राम चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 110/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. रिहान पुत्र वसीम निवासी मौहल्ला चरवरदरान थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी -

- 238 ग्राम चरस

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 440/22 धारा 307 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 441/22 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 444/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 173/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 331/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 उ0नि0 सुभाष चन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1298 अरविन्द कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांक 12-03-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में 03 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजाः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 23.06.2012 को वादी निरीक्षक बी0एन0 पराशर थाना नकुड जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. सद्दाम पुत्र मौ0 अली 2. मौ0 उस्मान पुत्र गुलबहार निवासीगण खेडा अफगान थाना नकुड सहारनपुर 3. तसलीम पुत्र मौ0 इनाम निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0स0-284/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-26/13 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** मे चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 12.03.2026 को अभियुक्तगण 1. सद्दाम पुत्र मौ0 अली निवासी खेडा अफगान थाना नकुड सहारनपुर, 2. मौ0 उस्मान पुत्र गुलबहार निवासीगण खेडा अफगान थाना नकुड सहारनपुर व 3. तसलीम पुत्र मौ0 इनाम निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड जनपद सहारनपुर उपरोक्त को मु0अ0स0-284/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चौहान
विवेचक-निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह यादव
पैरोकार-का0 1974 देवेन्द्र कुमार थाना नकुड सहारनपुर।

दिनांक- 12.03.2026

-प्रेस नोट-

थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 14/24 धारा 420 भादवि, 66डी आईटी एक्ट में प्रकाश में आये मुख्य अभियुक्त के विरूद्ध कडी कार्यवाही की गयी

घटना का विवरणः-

आवेदक राव मुदस्सर अली पुत्र राव निशात अली खाल नि0 पिलखनतला, थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर मो0न0 9557857831 द्वारा दिनांक 16.03.2024 को थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके अनुसार अज्ञात महिला द्वारा वादी से फेसबुक पर दोस्ती कर टेलीग्राम पर फोरेक्स ट्रेडिंग के जरिये धन लाभ कमाने का झांसा देकर वादी से रू0 73,60,000/- ट्रांसफर करा लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 14/24 अन्तर्गत धारा 420 भादवि, 66डी आईटी एक्ट दिनांक 16.03.2024 पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी एकाउन्ट फ्रीज कराये गये तथा मुकदमा वादी के रु0 3,00,000/- वापिस कराये गये। मुकदमा वादी के खाते से जिस खाता संख्या में रु0 29,60,000/- स्थानान्तरित कराये थे वह एकाउन्ट ZEXWEB PVT LTD. कम्पनी का था यह एक आईटी कम्पनी थी इस कम्पनी का मालिक अंकित अरोडा पुत्र कैलाश अरोडा निवासी फ्लैट नं0- E-1601 ASOTECH WINDSORE COURT SECTOR 78 थाना सैक्टर 113 नोएडा व कम्पनी ZEXWEB का एड्रैस सैक्टर 62 नोएडा प्राप्त हुआ। उक्त अभियुक्त अंकित अरोडा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का साइबर ठगी का अभियुक्त है जिसके विरुद्ध प्रदेश के अलग अलग जिलों में अभियोग पंजीकृत है तथा विभिन्न प्रदेशों में अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध 07 अभियोग देश के अलग अलग राज्यों में पंजीकृत है। तथा उक्त कम्पनी ZEXWEB PVT LTD. के बैंक एकाउन्ट में रु0 5,89,36,400/- के ट्रांजैक्शन साइबर फ्रॉड द्वारा किये गये हैँ तथा उक्त कम्पनी के एकाउन्ट पर NCRP पोर्टल पर कुल 23 शिकायतें पंजीकृत हैं। उक्त अभियुक्त के गिरफ्तार करने के लिए हरसम्भव प्रयास किये गये परन्तु उक्त अभियुक्त बार बार अल्प अवधि में अपने पते बदलता रहता था, उक्त अभियुक्त कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 06 जगहों पर रहने के प्रमाण मिले परन्तु कहीं भी स्थायी पता नहीं मिला। साइबर थाना टीम द्वारा काफी प्रयासों के बाद साक्ष्य संकलन कर इसके परिजनों का पता ज्ञात किया गया परिजनों से मिलने पर पता चला कि थाना सैक्टर 113 नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 222/25 धारा 328,376,377,420,506 में गिरफ्तार होकर जिला कारागार गौतमबुद्ध में निरुद्ध है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दि0 09.03.2026 को माननीय न्यायालय जनपद सहारनपुर के समक्ष प्रोडक्शन वारण्ट पर तलब कर रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया। माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर जिला कारागार गौतमबुद्ध नगर जाकर बयान लिये गये जिसमें अभियुक्त अंकित अरोडा ने पूछताछ में बताया कि मैं ZEXWEB PVT LTD. का मालिक हूँ और वहां पर कम्पनी के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाता था तथा नोएडा, गाजियाबाद व दिल्ली व अलग अलग जगहों पर मुकदमें पंजीकृत होने के कारण कम्पनी बंद करनी पडी तथा फिर मैं अपनी कम्पनी के

कर्मचारियों को झांसे में लेकर उनके दस्तावेज लेकर फर्जी कम्पनी बनाने की तैयारी में था कि गिरफ्तार होकर जेल चला गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 85/24 धारा 420 भादवि, 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर जिला थ्रीसर सिटी, केरल।
02. मु0अ0सं0 401/24 थाना इन्फो पार्क ऐरनाकुलम सिटी, केरल।
03. . मु0अ0सं0 33/24 धारा 420 भादवि, 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम पूर्वी दिल्ली।
04. मु0अ0सं0 58/24 धारा 420 भादवि, 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर झज्झर, हरियाणा।
05. मु0अ0सं0 38/24 धारा 420 भादवि, 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम, गाजियाबाद।
06. मु0अ0सं0 47/24 धारा 420 भादवि, 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्ध नगर।
07. मु0अ0सं0 222/25 धारा 328,376,377,420,506 थाना सैक्टर 113 नोएडा।

अनावरण करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 पीयूष कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
3. है०कां० 1141 रोहित कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
4. है०कां० 907 नितिन शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के द्वारा भेजे गये लिंक को क्लिक न करें तथा ट्रेडिंग के फेक ऐप डाउनलोड न करें तथा किसी भी अन्जान व्यक्ति को ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करायें।